न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (सत्र न्यायाधीश) मेडता (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार बेरीवाल, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
आपराधिक विविध प्रकरण सं 12/2026
CIS NO 12/2026

राधेश्याम पुत्र श्री राजाराम धारणियां, आयु 23 वर्ष, निवासी सांवतसर, पुलिस थाना सेरूणा, जिला बीकानेर।

...प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, मेडता,

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 233 भा.ना.सु.सं., 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.18/2026 पुलिस थाना मेड़ता रोड़, अपराध अन्तर्गत धारा 8/18 एन डी पी एस एक्ट।

उपस्थित–
1–श्री महेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2–श्री अभिमन्यु शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

::आदेश::

दिनांक 13.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त राधेश्याम की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 233 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना मेड़ता रोड़ पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 18/2026 में प्रस्तुत किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों को सुना एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया।
2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि जप्ती की कार्यवाही से पूर्व ही डीएसटी टीम ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बिना कोई कार्यवाही किए वाहन को पुलिस चौकी में खड़ा कर दिया, पुलिस चौकी के बहार सीसीटीवी लगे हुए हैं, मगर सीसीटीवी को रेकर्ड पर नहीं लिया जा रहा है, मुलजिम के पास कोई मोटरसाइकिल नहीं है, मुलजिम से बाईक से अवैध मादक पदार्थ होने की कोई सूचना नहीं ली गई है तथा ना ही मुलजिम का इस मादक पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। प्रकरण में अंकित मोबाईल नम्बर 7073462925 की सीडीआर व टॉवर लोकेशन तथा दिनांक 08.02.2026 को समय 03.30 पीएम से 10.00 पीएम तक की

सीसीटीवी फुटेज न्यायालय में प्रस्तुत कराने का निवेदन किया। दौरोने बहस विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया–

Mangilal Singh Vs State (Nct of Delhi) on 10 Octomber, 2025

3. विद्वान लोक अभियोजक ने प्रकरण में उचित आदेश पारित करने का निवेदन किया।

4. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया। अनुसंधान पत्रावली के अनुसार इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/18 एन डी पी एस एक्ट के अपराध का आरोप है, दिनांक 08.02.2026 को प्रकरण के प्रार्थी/अभियुक्त राधेश्याम की मोटरसाइकिल से कुल 03.620 किलोग्राम मादक पदार्थी अफीम दूध बिना वैध अनुज्ञा पत्र एवं परमिट के बरामद हुआ है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा इस प्रार्थनापत्र के जरिए उपरोक्त मोबाईल नम्बर की सीडीआर व टॉवर लोकेशन तथा पुलिस चौकी के स्थान की सीसीटीवी फुटेज को रेकर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी/अभियुक्त का दौराने बहस यह भी तर्क रहा कि डीएसटी टीम द्वारा बिना किसी एनडीपीएस की कार्यवाही किए उसके वाहन को पुलिस चौकी में खड़ा करवाया गया है। जहां तक प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा धारा 233 बीएनएसएस के तहत उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, उक्त धारा में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि –

Procedure to be followed when there is a complaint case and police investigation in respect of same offence.

(1) When in a case instituted otherwise than on a police report (hereinafter referred to as a complaint case), it is made to appear to the Magistrate, during the course of the inquiry or trial held by him, that an investigation by the police is in progress in relation to the offence which is the subject-matter of the inquiry or trial held by him, the Magistrate shall stay the proceedings of such inquiry or trial and call for a report on the matter from the police officer conducting the investigation.

(2) If a report is made by the investigating police officer under section 193 and on such report cognizance of any offence is taken by the Magistrate against any person who is an accused in the complaint case, the Magistrate shall inquire into or try together the complaint case and the case

arising out of the police report as if both the cases were instituted on a police report.

(3) If the police report does not relate to any accused in the complaint case or if the Magistrate does not take cognizance of any offence on the police report, he shall proceed with the inquiry or trial, which was stayed by him, in accordance with the provisions of this Sanhita.

5. इस प्रकार प्रकरण के प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त धारा के जरिए हस्तगत प्रकरण में बरामदशुदा मोबाईल नं. की सीडीआर, टॉवर लोकेशन व प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल के संबंध में पुलिस चौकी, रेण की सीसीटीवी फुटेज को रेकर्ड पर लेने का निवेदन किया है। उपरोक्त धारा के अवलोकन से प्रकट है कि इस धारा और अन्य प्रक्रियात्मक प्रावधानों के माध्यम से यह सुनिश्चित होता है कि आरोपी के अधिकारों की रक्षा हो और जांच की निष्पक्षता बनी रहे।

6. जहां तक प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा मोबाईल नं. की सीडीआर व टॉवर लोकेशन रेकर्ड पर उपलब्ध करवाने का प्रश्न है तो प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत किए गए उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन करें तो इसमें यह स्पष्ट रूप से मत दिया गया है कि–

"All that we are concerned with is whether call details which the appellant is demanding can be denied to him on the ground that such details are likely to prejudice the case of the prosecution by exposing their activities in relation to similar other cases and individuals. It is not however in dispute that the call details are being summoned only for purposes of determining the exact location of the officers concerned at the time of the alleged arrest of the appellant from Yashica Palace hotel near the bus stand. Ms. Makhija made a candid concession that any other information contained in the call details will be of no use to the appellant and that the appellant would not insist upon disclosure of such information. That in our opinion simplifies the matter inasmuch as while the call details demanded by the appellant can be summoned in terms of Section 65B of the Indian Evidence Act, such details being relevant only to the extent of determining the location of officers concerned need not contain other information concerning such calls received or made from the telephone numbers concerned. In other words if the mobile telephone numbers called or details of the callers are blacked out of the information summoned from the companies concerned it will

protect the respondent against any possible prejudice in terms of exposure of sources of information available to the Bureau. Interest of justice would in our opinion be sufficiently served if we direct the Trial Court to summon from the Companies concerned call details of Sim telephone No. 9039520407 and 7415593902 of Tata Docomo company and in regard to Sim No. 9165077714 of Airtel company for the period 24.02.2013 between 4.30 to 8.30 p.m. We further direct that calling numbers and the numbers called from the said mobile phone shall be blacked out by the companies while furnishing such details."

7. इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के मध्यनजर इस स्तर पर उचित प्रतीत होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के जप्तशुदा मोबाईल नं. 7073462925 की सीडीआर व टॉवर लोकेशन तथा प्रकरण में निष्पक्षता से जांच के लिए दिनांक 08.02.2026 को समय 3.30 पीएम से 10.00 पीएम तक की पुलिस चौकी, रेण की सीसीटीवी फुटेज के संबंध में अनुसंधान कर उक्त रेकोर्ड को अभिलेख पर लिया जाए, चूंकि उक्त रेकोर्ड (साक्ष्य) इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य की श्रेणी में आता है, अतः अन्वेषण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान के तहत बंद लिफाफे में रेकोर्ड इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

8. अत: ऐसी स्थिति में इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार का मत अभिव्यक्त किये बिना प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 233 बीएनएसएस स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9. परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 233 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उपरोक्तानुसार आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। दौराने विचारण हस्तगत प्रकरण में बचाव पक्ष पुलिस अन्वेषण से प्राप्त लिफाफा को खुलाने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

(अरूण कुमार बेरीवाल)
विशिष्ट न्यायाधीश
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम
(सत्र न्यायाधीश), मेड़ता

10. आदेश आज दिनांक 13.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विशिष्ट न्यायाधीश
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम
(सत्र न्यायाधीश), मेड़ता